



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

Government of India, Ministry of
Personnel, Public Grievances &
Pensions, Department of
Personnel and Training, Staff
Selection Commission,
Block No.12, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003.

ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2025

शुद्धिपत्र

फा. सं. 4/2/2025-CONF-5: रेलवे बोर्ड सचिवालय स्टेनोग्राफर्स सेवा (RBSSS) तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के अभ्यर्थी आयोग द्वारा दिनांक 22.12.2025 को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2025 की परीक्षा विज्ञप्ति का संदर्भ लें।

2. रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा RBSSS के 2018 बैच के स्टेनोग्राफर-डी के संबंध में पात्रता मानदंड में दी गई छूट के संबंध में दी गई सूचना के फलस्वरूप, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुलग्नक-1 के पैरा 31 (निर्णायक तिथि एवं पात्रता की शर्तों) के अंतर्गत तालिका के "पात्रता की शर्तों" कॉलम में पैरा 1(क) "सेवा अवधि" के अंत में RBSSS के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाती है:

RBSSS नियम, 2021 के नियम 21 के अनुसार RBSSS के 2018 बैच के स्टेनोग्राफर-डी के लिए छूट:

- अनुमोदित सेवा में एक वर्ष की छूट।
- निरंतर सेवा में अधिकतम एक वर्ष, तीन माह एवं पाँच दिन की छूट।
- परिणाम घोषित होने की तिथि तथा पात्रता की निर्णायक तिथि के मध्य अवधि में एक वर्ष एवं पाँच माह की छूट।

3. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा "पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि" में परिवर्तन के संबंध में दी गई सूचना के फलस्वरूप, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुलग्नक-1 के पैरा 31 (निर्णायक तिथि एवं पात्रता की शर्तों) के अंतर्गत तालिका के "अनुमोदित सेवा की गणना हेतु निर्णायक तिथि" कॉलम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

पूर्व में	अब पढ़ा जाए
अर्थात् 1 जुलाई, 2025 (01.07.2025)	अर्थात् 1 जनवरी, 2025 (01.01.2025)

4. ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2025 की परीक्षा विज्ञप्ति की अन्य सभी शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

भारत सरकार के अवर सचिव
दिनांक: 02.07.2026